न्यायालय मुंसिफ प्रथम, मधुबनी।

हकियत वाद सं0 01/2017
97/2018

सी0 एफ0 22/2017

09.03.2022

उभय पक्षों की ओर से वकालतन हाजरी दी गयी है। दिनांक 03.06.2019 एवं दिनांक 03.08.2019 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् आप आदेश हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 03.06.2019 के आवेदन के संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि गलती एवं धोखा से कुछ गलत शब्द व अंक दर्ज हो गया है तथा कुछ शब्द व अंक दर्ज होना छुट गया है। जिसे संशोधित करना आवश्यक है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता हैं कि वादी के उक्त आवेदन पर पूर्व में ही प्रतिवादी को प्रतिउत्तर से वंचित किय जा चुका है। आवेदन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद कि प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में वादी का दिनांक 03.06.2019 का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वादी समयसीमा के भीतर वाद पात्र में आवेदानुसार संशोधन करें।

वादी के दिनांक 03.08.2019 के आवेदन के संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी सं0 05 रामेश्वर साहु दिनांक 28.05.2019 को एक पत्नी रंजू देवी प्रतिवादी सं0 01 वो बलराम साहु प्रतिवादी सं0 02 वो दिगम्बर साहु प्रतिवादी सं0 03 वो दो पुत्रियॉ अंजन देवी वो संजन कुमारी को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। स्व0 रामेश्वर साहु के तीनों पुत्र इस वाद में पूर्व से ही प्रतिवादी है। अतः रामेश्वर साहु के देहांत हो जाने के कारण प्रतिवादी सं0 05 रामेश्वर साहु का नाम विलोपित किया जाना तथा उनके जगह उनके पत्नी तथा दोनों पुत्रियॉ के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है।

अभिलेख का पुनः अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता हैं कि अतः आवेदन दिनांक 03.08.2019 की स्वीकृत किया जान न्यायहित में है।

अतः वादी का दिनांक 03.08.2019 का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वादी समयसीमा के भीतर आवेदनानुसार प्रतिस्थापित करें।

दिनांक 28.03.2022 वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

मुंसिफ प्रथम,
मधुबनी।